न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान – प्रधानाध्यापक रा.प्रा.वि. चौसला बनाम तहसीलदार सीकर

किस्म मुकदमा – प्रा0–पत्र 136 एल.आर.एक्ट 1956 मुकदमा नं विविध 97/ वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20-6-2025	प्रार्थी प्रधानाध्यापक रा.प्रा.वि. चोसला पंचायत समिति पिपराली द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश किया गया कि राजकीय प्राथमिक विधालय ग्राम कालाखेत के राजकीय प्राथमिक विधालय ढाणी चौसला ग्राम कालाखेत के खसरा नम्बर 555 में विधालय भवन एवं खसरा नम्बर 554 खेल मैदान संचालित है। उक्त स्थान पर पूर्व में रा.प्रा.वि. शोभ, कालाखेत के नाम से संचालित था जो बाद में क्रमोन्नत होने पर ग्राम शोभ में स्थानांतरित होकर वर्तमान में रा.उ.मा.वि. शोभ के नाम पर संचालित है। पूर्व में रा. प्रा. वि. शोभ के नाम आवंटित भूमि खसरा नम्बर 555 व 554 में वर्तमान में रा.प्रा.वि. ढाणी चौसला संचालित है। अतः श्रीमान जी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्रम कालाखेत के खसरा नम्बर 555 के रकबा 0.07 हैक्ट में विधालय भवन व खसरा नम्बर 554 में रा.प्रा.वि. ढाणी चौसला रकबा 0.69 हैक्ट का खेल मैदान भूमि रा.प्रा.वि. ढाणी चौसला ग्राम कालाखेत के नाम अंकन करने की कृपा करें। प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार, सीकर से रिपोर्ट चाही गई। उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक– भू.अ./2025/2445 दिनांक 13.06.2025 प्राप्त हुईं। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व ग्राम कालाखेत के खसरा नम्बर 554 रकबा 0.69 हैक्ट गै0मु0 खेल मैदान खसरा नम्बर 555 रकबा 0.07 हैक्ट गै.मु. स्कूल किता 02 कुल रकबा 0.76 हैक्ट राजकीय प्राथमिक विधालय सोब कालाखेत हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए रिकॉर्ड दर्ज है। तहसीलदार सीकर द्वारा उक्त रिपोर्ट राजस्व रिकॉर्ड में स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विधालय सोब कालाखेत की जगह राजकीय प्राथमिक विधालय ढाणी चोसला (पलासरा) करने बाबत् भिजवाई गई है। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावें। तहसीलदार का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार तथा पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजों के तथ्यों से संतुष्ट होने पर रिपोर्ट तहसीलदार को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 555 रकबा 0.07 हैक्ट, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.69 हैक्ट के खातेदार का नाम राजकीय प्राथमिक विधालय सोब कालाखेत की जगह राजकीय प्राथमिक विधालय ढाणी चोसला (पलासरा) की स्वीकृति धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानों के तहत रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सीकर उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)	